

सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़
INSTITUTE OF MICROBIAL TECHNOLOGY, CHANDIGARH
किसी सामान/वस्तु को अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोज्य घोषित करने हेतु प्रपत्र/
FORM FOR DECLARING A STORE AS SURPLUS/OBSOLETE/UNSERVICEABLE

प्रभाग/DIVISION _____

अनुभाग/SECTION _____

क्रमांक / Sr.No.	वस्तु का विवरण/ Description of Store	मात्रा/ Quantity	निगम वाउचर सं. व तिथि/Issue Voucher No. & date	पी.आई.आर संदर्भ/PIR ref.	बही सं. सं./L/F No.	मूल्य /Cost
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

- 1.0 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वस्तु/सामान चालू स्थिति में है पर अब मेरे/मेरे प्रभाग द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है । अतः वस्तु को अधिशेष घोषित कर दिया जाए।/Certified that the item referred above is in working order but is no longer used by me/my division. The item may be declared as surplus.
- 2.0 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वस्तु तकनीकी दृष्टि से चलन में नहीं है तथा प्रयोगशाला के लिए उपयोगी नहीं है । इसकी मरम्मत के लिए बदले जाने वाले पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं अतः इसे अधिशेष घोषित कर दिया जाए ।/Certified that the item referred above has become outdated technically and is not useful within the laboratory. The replacement parts are also not available for its repair and so same may be declared as obsolete.

P.T.O

- 3.0 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वस्तु _____ वर्षों की सामान्य अवधि के लिए प्रयोग में लाई गई तथा सामान्य टूट फूट के कारण प्रयोग योग्य नहीं है । यह वस्तु किराया की दृष्टि से मरम्मत योग्य नहीं है तथा इसे अधिशेष घोषित कर दिया जाए।/Certified that the item(s) mentioned above has/have lived a normal life of _____ years and become unserviceable due to normal wear & tear. The item is beyond economic repair and thus may be declared as unserviceable.

मांगकर्ता/INDENTOR

एचसीडी/पीएल/HcD/PL

स्थायी निपटान समिति/STANDING DISPOSAL COMMITTEE

विचाराधीन सामान/वस्तु की जांच की गई तथा सामान्य टूट-फूट के कारण अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोज्य पाई गई है । इसके निपटान के लिए समिति ने निम्नलिखित कार्ययोजना की संस्तुति की है ।/ The material in question has been inspected by us and found to be surplus/obsolete/unserviceable due to its normal wear & tear. The Committee recommends the following course of action for its disposal.

- 1) शिक्षण संस्थान को उपहार स्वरूप/By gift to Educational Institute within the State _____
- 2) सीएसआईआर की अन्य प्रयोगशाला को स्थानान्तरण द्वारा/By transfer to other CSIR Labs_____
- 3) सार्वजनिक बोली द्वारा/By public auction _____
- 4) सीमित निविदा द्वारा/By limited tendering _____
- 5) प्रैस टेंडर द्वारा/By press tendering _____

भं एवं कय. अधि.	सदस्य	सदस्य	वि. एवं ले.अधि.	प्र.नि
SPO	Member	Member	F&AO	COA
संयोजक				
Convener				

अध्यक्ष
Chairman